

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 19-10-2026

विषय सूची

2035 तक 'अति-वृद्ध समाज' बन जाएगी चीन की राजधानी बीजिंग

बच्चों के लिए इंटरनेट तक पहुँच का मौलिक अधिकार

भारत में अभिरक्षा के दौरान होने वाली मृत्युएँ

अमेरिका-रूस डीज़ल समझौता

भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आगामी 7-8 वर्षों में 400-450 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की संभावना

संक्षिप्त समाचार

भारत का पोषक तत्वों से भरपूर बैंगनी आलू

मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वैश्विक वृद्धि

जैविक ताड़ गुड़ पाउडर का बुल्गारिया को निर्यात

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में लांस नायक और नायक के पद पुनः शुरू करने पर विचार

अभ्यास कोंकण-26

2035 तक 'अति-वृद्ध समाज' बन जाएगी चीन की राजधानी बीजिंग

समाचारों में

- वर्ष 2035 तक बीजिंग के एक 'अति-वृद्ध समाज' (Super-Aged Society) बनने का अनुमान है। यह चीन की तीव्रता से वृद्ध होती जनसंख्या, घटती जन्म दर और बढ़ती जीवन प्रत्याशा को दर्शाता है।

अति-वृद्ध समाज क्या है?

- प्रचलित जनसांख्यिकीय वर्गीकरणों के अनुसार, जब किसी जनसंख्या में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की हिस्सेदारी कम-से-कम 10 प्रतिशत हो जाती है, तो उसे वृद्ध होती जनसंख्या वाला समाज माना जाता है।
 - जब यह अनुपात 20 प्रतिशत तक पहुँच जाता है, तो उसे वृद्ध समाज तथा 30 प्रतिशत तक पहुँचने पर अति-वृद्ध समाज कहा जाता है।
- वृद्ध होती जनसंख्या के कारण स्वास्थ्य सेवाओं, पेंशन, दीर्घकालिक देखभाल और वृद्ध-अनुकूल अवसंरचना की माँग बढ़ जाती है।

चीन में व्यापक जनसांख्यिकीय परिवर्तन

- 2025 के अंत तक:** बीजिंग में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के 52.88 लाख निवासी थे, जो इसकी कुल जनसंख्या का 24.3% थे।
- निम्न प्रजनन दर:** चीन की प्रजनन दर लगभग 1.0 से 1.2 है, जो प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से काफी कम है।
- वर्ष 2035 का अनुमान:** बीजिंग के 33% से अधिक निवासियों की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होने की संभावना है, अर्थात् लगभग प्रत्येक तीन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति इस आयु वर्ग का होगा।

जनसंख्या की वृद्धावस्था के पीछे के कारण

- कम जन्म दर और कार्यबल में कमी :** चीन की जनसंख्या में वर्ष 2022 से गिरावट आ रही है। एक-संतान नीति (1979 से 2015) और शहरी जीवन-यापन की उच्च लागत ने जन्म दर को निम्न स्तर पर बनाए रखा है।
- बढ़ती दीर्घायु :** बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन प्रत्याशा बढ़कर लगभग 78 वर्ष हो गई है। इससे वृद्ध जनसंख्या का अनुपात बढ़ रहा है, जबकि कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या घट रही है।
- जनसांख्यिकीय संक्रमण :** बड़ी संख्या में वृद्ध आयु-वर्ग के लोग सेवानिवृत्ति की आयु में प्रवेश कर रहे हैं।

वृद्ध समाज के निहितार्थ

- कार्यबल में कमी :** कार्यबल के आकार में कमी से मजदूरी बढ़ती है और विनिर्माण क्षेत्र में लागत संबंधी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ कमजोर होता है। इससे कंपनियाँ स्वचालन अपनाने तथा भारत और वियतनाम जैसी कम लागत वाली अर्थव्यवस्थाओं में स्थानांतरण करने की ओर प्रेरित होती हैं।
- राजकोषीय दबाव :** पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी व्यय बढ़ता है, जबकि अंशदान करने वाले लोगों की संख्या घटती है।
- बचत और आर्थिक विकास में कमी :** वृद्ध जनसंख्या की बचत में कमी आती है तथा उपभोग के स्वरूप में बदलाव होता है, जिससे निवेश और संभावित GDP वृद्धि प्रभावित होती है।
- नए अवसर :** 'सिल्वर इकोनॉमी' में स्वास्थ्य सेवाएँ, सहायक आवास, बीमा और वृद्धावस्था संबंधी प्रौद्योगिकी शामिल हैं, जो नए बाजारों के सृजन में योगदान देते हैं।
- वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएँ :** चीन की वृद्ध होती जनसंख्या 'चाइना प्लस वन' रणनीति को गति देती है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण क्षेत्रों में भारत के लिए अवसर बढ़ते हैं।

भारत की स्थिति

- लाभ प्राप्त करने का अवसर :** भारत की मध्यिका आयु लगभग 28 वर्ष है और इसका जनसांख्यिकीय लाभांश लगभग 2040 के दशक तक बना रहने की संभावना है।
- वृद्धावस्था की प्रक्रिया जारी :** वर्ष 2022 में भारत की 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या लगभग 10.5% थी, जिसके वर्ष 2050 तक लगभग 20% होने का अनुमान है (भारत वृद्धावस्था रिपोर्ट, 2023)। NFHS-5 के अनुसार, भारत की प्रजनन दर (2.0) पहले ही प्रतिस्थापन स्तर से नीचे आ चुकी है।
- क्षेत्रीय असमानता :** दक्षिणी राज्यों में जनसंख्या अधिक तीव्रता से वृद्ध हो रही है। वर्ष 2030 के मध्य तक केरल में वृद्ध जनसंख्या की हिस्सेदारी 20% से अधिक होने का अनुमान है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में युवा जनसंख्या का अनुपात अधिक बना रहेगा। इससे राजकोषीय भार और प्रवासन का दबाव असमान रूप से बढ़ता है।
- मौजूदा नीतिगत ढाँचा :** राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (1999), माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम (2007), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत पेंशन, अटल वयो अभ्युदय योजना तथा आयुष्मान भारत PM-JAY (जिसका विस्तार वर्ष 2024 में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों तक किया गया)।

भारत के समक्ष चुनौतियाँ

- **समृद्ध होने से पहले वृद्ध होना:** भारत की प्रति व्यक्ति आय चीन की तुलना में काफी कम है। इसलिए भारत को सीमित राजकोषीय क्षमता और कमजोर सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के साथ जनसंख्या की वृद्धावस्था का सामना करना पड़ सकता है।
- **पेंशन का अभाव :** लगभग 90% श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं और उनमें से केवल एक छोटे हिस्से को पेंशन का लाभ प्राप्त है। इसलिए विशेष रूप से महिलाओं में वृद्धावस्था की गरीबी का वास्तविक जोखिम है।
- **स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव :** गैर-संचारी रोग, डिमेंशिया (मनोभ्रंश) और वृद्धावस्था संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित क्षमता स्वास्थ्य व्यय को बढ़ाती है। स्वास्थ्य सेवाओं पर आउट ऑफ व्यय अभी भी अधिक है।
- **कौशल और रोजगार के बीच असंगति :** यदि युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्राप्त नहीं होते, तो जनसांख्यिकीय लाभांश का समुचित उपयोग नहीं हो पाएगा। महिलाओं की कम श्रमबल भागीदारी इस समस्या को अधिक गंभीर बनाती है।

भारत के लिए आगे की राह

- **वर्तमान में जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग:** कौशल भारत और उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के अंतर्गत कौशल विकास, विनिर्माण तथा महिलाओं की श्रमबल भागीदारी में निवेश किया जाना चाहिए।
- **सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा :** अटल पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का विस्तार गिग और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों तक करना एक प्रभावी कदम है।
- **वृद्धावस्था संबंधी स्वास्थ्य सेवाएँ :** जिला अस्पतालों में वृद्धावस्था चिकित्सा की विशेष इकाइयाँ स्थापित की जानी चाहिए तथा दीर्घकालिक देखभाल बीमा और घर-आधारित देखभाल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **सिल्वर इकोनॉमी :** लचीली कार्य व्यवस्था के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवासीय सुविधाओं, सहायक प्रौद्योगिकी और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **विकेंद्रीकृत नियोजन :** क्षेत्रीय स्तर पर वृद्धावस्था से संबंधित असमानताओं को दूर करने के लिए वित्त आयोग के अंतरणों और राज्य-विशिष्ट रणनीतियों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- **पूर्वी एशिया से सीख :** जनसंख्या संबंधी दमनकारी नीतियों से बचना चाहिए। इसके स्थान पर बाल देखभाल, आवास और कार्यस्थल संबंधी सहायक नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- यद्यपि चीन की वृद्ध होती जनसंख्या वैश्विक विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में भारत के लिए नए अवसर उत्पन्न कर सकती है, फिर भी भारत को उत्पादक रोजगार सृजित करने, कौशल में सुधार करने, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और अपनी भावी जनसांख्यिकीय वृद्धावस्था के लिए तैयारी करने की आवश्यकता है।

स्रोत: Firstpost

बच्चों के लिए इंटरनेट तक पहुँच का मौलिक अधिकार

संदर्भ

- सोशल मीडिया पर बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार संबंधी सामग्री (CSEAM) के प्रसार से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों के इंटरनेट तक पहुँचने के अधिकार को मान्यता दी।

सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ

- न्यायालय ने कहा कि इंटरनेट तक पहुँचने और उसका उपयोग करने का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 19(1)(a) के साथ पढ़ने पर, एक मौलिक अधिकार है।
- बच्चों को उनकी आयु की परवाह किए बिना संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं तथा केवल नाबालिग होने के आधार पर उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
- **प्रस्तावित सुरक्षा उपाय:**
 - ♦ सरकार को प्रमाणित आपत्तिजनक सामग्री से संबंधित डिजिटल पहचान-सूचकों और यूआरएल का एक आँकड़ा-संग्रह तैयार करने का निर्देश दिया गया, ताकि ऐसी सामग्री की पहचान और उसे हटाने की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके।
 - ♦ सरकार को ऐसी सामग्री का पता लगाने और उसे हटाने के लिए दृश्य-प्रतिरूप हैश मिलान, यूआरएल सूचीकरण तथा अन्य प्रौद्योगिकीय उपायों से संबंधित दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रियाएँ तैयार करने का निर्देश दिया गया।
 - ♦ न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि सहमति के बिना तैयार की गई, यौन शोषण से संबंधित तथा दुर्व्यवहारपूर्ण सामग्री के लिए इंटरनेट पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 21:** यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। न्यायालय ने इस अधिकार को इंटरनेट तक पहुँच से संबद्ध किया।
- **अनुच्छेद 19(1)(a):** यह वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसमें डिजिटल मंचों के माध्यम से सूचना प्राप्त करने और उसका संचार करने से संबंधित संवैधानिक हित भी शामिल हैं।
- **अनुच्छेद 19(2):** यह संवैधानिक आवश्यकताओं के अधीन, निर्दिष्ट आधारों पर वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय

- अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) में न्यायालय ने कहा कि इंटरनेट के माध्यम से वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(g) के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है।
- प्रज्ञा प्रसून बनाम भारत संघ (2025) में न्यायालय ने कहा कि डिजिटल ग्राहक पहचान सत्यापन (KYC) से दिव्यांग व्यक्तियों को बाहर रखना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। न्यायालय ने यह भी कहा कि “डिजिटल पहुँच का अधिकार, जीवन के अधिकार का एक अंतर्निहित घटक है।”
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव बनाम बंगाल क्रिकेट संघ (1995) में न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(a) में “जानने तथा सूचना और विचारों को प्राप्त करने एवं प्रसारित करने का अधिकार” शामिल है।

बच्चों में इंटरनेट के उपयोग के लाभ

- **सूचना तक पहुँच:** डिजिटल मंच बच्चों को शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराते हैं तथा कक्षा से परे विभिन्न विषयों का अन्वेषण करने के अवसर प्रदान करते हैं।
- **कौशल विकास:** इंटरनेट का उपयोग डिजिटल कौशल, कौशल उन्नयन, रचनात्मक अभिव्यक्ति और सहयोगात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करता है।
- **सामाजिक संपर्क:** डिजिटल मंच संचार, सामुदायिक संबंधों के निर्माण और समवयस्कों के साथ सहभागिता को सुगम बनाते हैं।

इंटरनेट के उपयोग से संबंधित चिंताएँ

- **सामाजिक अलगाव:** आभासी संपर्क आमने-सामने होने वाले संवाद का स्थान ले लेता है, जिससे वास्तविक जीवन के संबंध और पारिवारिक जुड़ाव कमजोर हो सकते हैं।

- **इंटरनेट व्यसन विकार (IAD):** बाध्यकारी उपयोग के कारण व्यक्ति अपने व्यवहार पर नियंत्रण खो सकता है, उपयोग न कर पाने पर व्यग्रता जैसे लक्षण अनुभव कर सकता है तथा वास्तविक जीवन के दायित्वों की उपेक्षा कर सकता है।
- **शारीरिक स्वास्थ्य एवं कल्याण:** इंटरनेट का अत्यधिक या अनियंत्रित उपयोग नींद में बाधा डालता है, भावनात्मक नियंत्रण को प्रभावित करता है तथा बच्चों की दैनिक दिनचर्या में व्यवधान उत्पन्न करता है।
- **ऑनलाइन शोषण:** अजनबियों के साथ संपर्क, साइबर उत्पीड़न, प्रतिरूपण और अनुचित सामग्री बच्चों को उत्पीड़न तथा अन्य प्रकार की हानि के जोखिम में डाल सकते हैं।
- **लिंग-आधारित डिजिटल विभाजन:** लड़कों की इंटरनेट तक अधिक पहुँच और स्वतंत्रता उन्हें ऑनलाइन जोखिमों के प्रति अधिक उजागर कर सकती है, जबकि लड़कियों की इंटरनेट तक पहुँच पर प्रतिबंध उनकी डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन स्वयं की सुरक्षा करने की क्षमता को सीमित करते हैं।

ऑस्ट्रेलिया का सामाजिक मीडिया हेतु न्यूनतम आयु संबंधी कानून

- ऑनलाइन सुरक्षा संशोधन (सामाजिक मीडिया हेतु न्यूनतम आयु) अधिनियम, 2024 को वर्ष 2025 में पारित किया गया। इसके अंतर्गत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निर्दिष्ट सामाजिक मीडिया मंचों पर खाते बनाने या रखने से पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया।
- **कार्यान्वयन:** ऑस्ट्रेलिया का ई-सुरक्षा आयुक्त इस व्यवस्था की निगरानी करता है। वहीं, आयु-निर्धारण की विधियाँ उनकी प्रभावशीलता, निजता तथा प्रतिबंधों को दरकिनार किए जाने की संभावना से संबंधित प्रश्न उत्पन्न करती हैं।

आगे की राह

- डिजिटल मंचों पर आयु के अनुरूप पूर्वनिर्धारित सुरक्षा व्यवस्थाएँ, अज्ञात उपयोगकर्ताओं से संपर्क पर प्रतिबंध तथा आसानी से उपलब्ध शिकायत दर्ज करने की सुविधाएँ शामिल की जानी चाहिए।
- ऑनलाइन दुर्व्यवहार से प्रभावित बच्चों को गोपनीय शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था, परामर्श और समय पर कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- विद्यालयों में बच्चों को ऑनलाइन सूचना की विश्वसनीयता का आकलन करने, भ्रामक गतिविधियों की पहचान करने, व्यक्तिगत आँकड़ों की सुरक्षा करने तथा साइबर उत्पीड़न और संदिग्ध संपर्कों से सुरक्षित ढंग से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

स्रोत: IE

भारत में अभिरक्षा के दौरान होने वाली मृत्युएँ

संदर्भ

- आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गाडे साई कृष्णा की कथित अभिरक्षागत मृत्यु की जाँच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने का आदेश दिया।

उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रमुख बिंदु

- आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि नागरिकों के मानवाधिकारों को लागू करना तथा संज्ञेय अपराध करने के आरोपी किसी भी व्यक्ति, जिसमें स्वयं सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं, के विरुद्ध निष्पक्ष एवं न्यायसंगत जाँच सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है।
 - कुछ परिस्थितियों में अपराध का साक्षी भी संरक्षण की माँग कर सकता है और राज्य द्वारा उसे सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
- न्यायालय ने प्रभावी निवारक उपायों के रूप में निम्नलिखित कदम सुझाए:
 - पुलिस प्रशिक्षण को इस प्रकार पुनर्गठित करना, जिससे पुलिसकर्मियों में मानवाधिकारों को पहचानने और उनका सम्मान करने की आवश्यक मानसिकता विकसित हो।
 - अधीनस्थ स्तर के पुलिस अधिकारियों के कार्यों की निरंतर निगरानी करना, ताकि जाँच की वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
 - सभी अपराधों से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के शीघ्र पंजीकरण के लिए सरल एवं त्रुटिरहित प्रक्रियाएँ लागू करना तथा अभिलेखों में हेरफेर, प्रविष्टियाँ जोड़ने, प्रतिस्थापन और पूर्व दिनांक अंकित करने जैसी अनियमितताओं को रोकने के लिए पुलिस को अभिलेखों के रखरखाव की आधुनिक विधियों से सुसज्जित करना। यह व्यवस्था प्रथम सूचना रिपोर्ट, मृत्यु-समीक्षा कार्यवाही, शव-परीक्षण रिपोर्ट आदि के संबंध में भी लागू होनी चाहिए।

अभिरक्षागत मृत्यु क्या है?

- अभिरक्षागत मृत्यु से तात्पर्य किसी व्यक्ति की पुलिस या न्यायिक अभिरक्षा के दौरान होने वाली मृत्यु से है। यह मृत्यु मुकदमे की सुनवाई से पहले, पुलिस पूछताछ के दौरान अथवा दोषसिद्धि के बाद हो सकती है।
 - ऐसी मृत्यु यातना, लापरवाही, चिकित्सा सहायता से वंचित किए जाने अथवा संदिग्ध परिस्थितियों के कारण भी हो सकती है।
- यह निम्नलिखित संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है:
 - अनुच्छेद 20(1):** किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित दंड से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता।

- अनुच्छेद 20(3):** स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किए जाने से संरक्षण प्रदान करता है। दबाव या उत्पीड़न के अंतर्गत प्राप्त कोई भी स्वीकारोक्ति विधि के अनुसार अग्राह्य होती है।
- अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, जिसमें पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में रहने वाले व्यक्तियों का संरक्षण भी शामिल है।
- अनुच्छेद 22:** व्यक्तियों को मनमानी गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध मौलिक सुरक्षा उपाय प्रदान करता है।
- भारत में अभिरक्षागत मृत्युएँ :** संसदीय आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच पूरे भारत में अभिरक्षा के दौरान कुल 11,656 मृत्युएँ दर्ज की गईं।
 - उत्तर प्रदेश 2,630 मृत्युओं के साथ सूची में शीर्ष पर रहा, जबकि दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु में ऐसी मृत्युओं की संख्या सर्वाधिक दर्ज की गई।
 - राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 के शुरुआती 74 दिनों में देशभर में अभिरक्षा के दौरान कुल 170 मृत्युएँ दर्ज की गईं, जो विगत वर्ष के 140 मामलों के आँकड़े से अधिक हैं।
 - बिहार सूची में शीर्ष पर रहा, जिसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान था।

भारत में अभिरक्षागत मृत्युओं की अधिक संख्या के कारण

- प्रक्रियागत खामियाँ और विलंब:** भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) मामले में अभिरक्षा में दुर्व्यवहार को रोकने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए थे। इन दिशा-निर्देशों के बावजूद, न्यायालय प्रायः मजिस्ट्रेटी जाँच और अन्य प्रक्रियाओं पर निर्भर रहते हैं, जिससे मामलों के निपटारे में विलंब होता है।
- कमजोर जवाबदेही:** अभिरक्षागत मृत्युओं की जाँच में प्रायः स्वतंत्रता का अभाव होता है, क्योंकि जाँच उसी पुलिस विभाग द्वारा की जाती है जिस पर घटना में संलिप्त होने का आरोप होता है। न्यायिक जाँच में प्रायः विलंब होता है, पारदर्शिता की कमी रहती है और निर्णायक परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते।
- हाशिए पर स्थित एवं संवेदनशील समूह:** अधिकांश पीड़ित कमजोर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। कानूनी जानकारी और संसाधनों की कमी के कारण उनके परिवार न्याय प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रयास नहीं कर पाते।

प्रमुख चिंताएँ

- **विधि के शासन का क्षरण:** ऐसी घटनाएँ दर्शाती हैं कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार और अनुच्छेद 22 के अंतर्गत मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण जैसे संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन हो रहा है। इससे न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास कमजोर होता है।
- **मानवाधिकार संबंधी छवि:** अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) तथा ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्टों में आलोचना का सामना करना पड़ता है। इससे अन्य देशों में मानवाधिकार संबंधी मुद्दों पर भारत की नैतिक विश्वसनीयता कमजोर होती है।
- **पुलिस-राज की धारणा:** अभिरक्षागत मृत्युओं की अधिक संख्या से भारत की छवि कल्याणोन्मुख लोकतंत्र के बजाय पुलिस-राज वाले देश के रूप में बन सकती है।
- **कमजोर आपराधिक न्याय व्यवस्था:** ऐसी घटनाएँ आधुनिक पुलिस व्यवस्था, न्यायवैज्ञानिक तकनीकों और प्रौद्योगिकी-आधारित तरीकों को अपनाने में विद्यमान अक्षमता को उजागर करती हैं।

संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय विधिक ढाँचे

- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर (1945):** इसमें संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों का उल्लेख है, जिनमें मानवाधिकारों को बढ़ावा देना भी शामिल है।
- **मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948):** यह यातना का निषेध करती है और निर्दोषता की उपधारणा सुनिश्चित करती है।
- **नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (1966):** यह जीवन के अधिकार की रक्षा करता है और यातना पर प्रतिबंध लगाता है।
- **नेल्सन मंडेला नियम:** आधिकारिक रूप से इन्हें 'कैदियों के साथ व्यवहार के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानक न्यूनतम नियम, 2015' कहा जाता है। ये स्वतंत्रता से वंचित सभी व्यक्तियों के साथ मानवीय व्यवहार के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करते हैं।
- **मानवाधिकारों पर यूरोपीय अभिसमय (1950):** यह व्यक्ति की गरिमा और न्याय तक पहुँच के तंत्र को मान्यता देता है।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय एवं सुधार संबंधी सिफारिशें

- **सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:**
 - **नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य (1993):** न्यायालय ने स्थापित किया कि यदि अभिरक्षा में हिंसा के माध्यम से किसी व्यक्ति के जीवन के मौलिक अधिकार

(अनुच्छेद 21) का उल्लंघन होता है, तो पीड़ित के परिवार को आर्थिक क्षतिपूर्ति देने के लिए राज्य का कठोर दायित्व बनता है।

- **डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997):** सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक गिरफ्तारी के लिए 11 अनिवार्य आवश्यकताएँ निर्धारित कीं। इनमें पूछताछ करने वाले अधिकारियों के स्पष्ट पहचान-पत्र प्रदर्शित करना, कम-से-कम एक साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित औपचारिक गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार करना, 8 से 12 घंटे के अंदर किसी परिजन को गिरफ्तारी की सूचना देना तथा अभिरक्षा के दौरान प्रत्येक 48 घंटे में चिकित्सकीय परीक्षण कराना शामिल है।
- **प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) के निर्देश:** पक्षपात से बचने के लिए नियमित कानून-व्यवस्था संबंधी कार्यों से अन्वेषण शाखा को अलग करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, अभिरक्षागत मृत्यु जैसे गंभीर कदाचार के मामलों की जाँच के लिए राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरणों (PCAs) की स्थापना अनिवार्य की गई।
- **परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह (2020):** सर्वोच्च न्यायालय ने प्रौद्योगिकी के अनिवार्य उपयोग का स्पष्ट निर्देश दिया। इसके अंतर्गत पूछताछ कक्षों में सीसीटीवी निगरानी, पूछताछ के डिजिटल अभिलेख तथा शरीर पर लगाए जाने वाले कैमरों के उपयोग को सामान्य प्रक्रिया बनाने पर बल दिया गया।
- **भारत के विधि आयोग की रिपोर्टें एवं सिफारिशें:**
 - **69वीं रिपोर्ट (1977):** वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष की गई स्वीकारोक्तियों से संबंधित साक्ष्य नियमों में सुधार का प्रस्ताव दिया गया, ताकि स्वीकारोक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनाई जाने वाली तृतीय-डिग्री यातना जैसी विधियों को प्रोत्साहित करने वाली संरचनात्मक परिस्थितियों को रोका जा सके।
 - **संयुक्त राष्ट्र यातना-विरोधी अभिसमय के कार्यान्वयन पर 273वीं रिपोर्ट (2017):** भारत में अभिरक्षागत यातना को अपराध घोषित करने और उसका व्यवस्थित उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक एवं समर्पित घरेलू कानून बनाने की सिफारिश की गई।
 - अभिरक्षागत अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष रूप से समर्पित त्वरित न्यायालयों की स्थापना पर बल दिया गया, ताकि मुकदमे वर्षों तक लंबित न रहें।
 - प्रत्यक्ष संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संलिप्त लोक अधिकारियों के विरुद्ध कठोर आपराधिक दंड, आजीवन कारावास तक, तथा उपयुक्त आर्थिक दंड की सिफारिश की गई।

- **आपराधिक कानूनों में सुधार (2023):** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 ने दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान लिया। इसमें गिरफ्तारी की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, न्यायवैज्ञानिक विधियों के उपयोग और नागरिक-केंद्रित प्रक्रियाओं से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं।
 - भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 दंड संबंधी और साक्ष्य संबंधी कानूनों का आधुनिकीकरण करते हैं तथा स्वीकारोक्ति-आधारित पुलिसिंग पर निर्भरता कम करने में सहायक हैं।

निष्कर्ष

- मौलिक अधिकारों, कानूनी सुरक्षा उपायों और सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों के बावजूद, भारत में अभिरक्षागत दुर्व्यवहार और मृत्युओं की घटनाएँ जारी हैं।
- भारत को अपने संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप कार्य करना चाहिए।
- विधि आयोग की विभिन्न रिपोर्टों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में व्यक्त विचारों के अनुरूप, संसद को एक व्यापक यातना-विरोधी कानून बनाना चाहिए, संस्थागत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना चाहिए तथा जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।

स्रोत: TH

अमेरिका-रूस डीजल समझौता

संदर्भ

- अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके माध्यम से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों में छूट दी गई तथा भारत जैसे रूसी ऊर्जा संसाधन खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के निर्णय को फिलहाल स्थगित कर दिया गया।

परिचय

- अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में पारित लिंडसे ओ. ग्राहम रूस एवं ईरान पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त छूट देने की शक्ति का उपयोग किया। इस अधिनियम का उद्देश्य रूस के ऊर्जा क्षेत्र को गंभीर रूप से कमजोर करना था।
 - इसमें रूसी तेल और गैस के पाँच प्रमुख खरीदार देशों—भारत, चीन, अज़रबैजान, स्लोवाकिया और हंगरी—पर 100 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रावधान था।
 - इसके अतिरिक्त, अमेरिका को होने वाले रूसी निर्यात पर 500 प्रतिशत तक तथा रूस को प्रतिबंधों से बचने में सहायता करने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रावधान था।

- **रूस-अमेरिका ऊर्जा समझौता:** रूस तत्काल 3 लाख टन से अधिक डीजल की आपूर्ति अमेरिका और वैश्विक बाजार को करेगा। इसके बाद नवंबर में अतिरिक्त 5 लाख टन तथा तत्पश्चात तत्काल 10 लाख टन डीजल की आपूर्ति की जाएगी।
 - इस कदम के पीछे अमेरिका का तर्क था कि इससे घरेलू और वैश्विक स्तर पर ईंधन की कीमतों में कमी आएगी।

भारत पर प्रभाव

- **शुल्क संबंधी खतरों से राहत:** अतिरिक्त शुल्कों पर अस्थायी रोक से इस तात्कालिक जोखिम में कमी आती है कि रूसी तेल खरीदने के कारण भारत के अमेरिका को होने वाले निर्यात पर दंडात्मक शुल्क लगाए जाएँ।
- **कठिन विकल्प चुनने से बचाव:** भारत रूसी कच्चा तेल खरीदना जारी रख सकता है और उसे किफायती ऊर्जा आपूर्ति तथा अमेरिका को होने वाले निर्यात की सुरक्षा के बीच तत्काल कठिन विकल्प चुनने की स्थिति का कम सामना करना पड़ेगा।
- **तेल शोधन कंपनियों को अधिक लचीलापन:** भारतीय तेल शोधन कंपनियाँ केवल अतिरिक्त शुल्क के खतरे के आधार पर निर्णय लेने के बजाय रूसी कच्चे तेल का मूल्य, उपलब्धता और परिवहन लागत के आधार पर आकलन कर सकती हैं।
- **व्यापार वार्ताओं में अनिश्चितता में कमी:** इस छूट से तनाव के एक प्रमुख कारण से अस्थायी राहत मिलती है, जबकि भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता जारी रखे हुए हैं।

आगे की राह

- यह छूट शुल्क संबंधी एक और विवाद के तात्कालिक खतरे को कम करके द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं के लिए अस्थायी अवसर प्रदान करती है।
- हालाँकि, इससे रूसी तेल की भारत द्वारा खरीद को लेकर दोनों देशों के बीच विद्यमान मूलभूत मतभेद समाप्त नहीं होते हैं।
- भारत को इस छूट को अमेरिका की ओर से स्थायी आश्वासन के बजाय एक अस्थायी रणनीतिक अवसर के रूप में देखना चाहिए।
- आयात रणनीति में विविधता, कूटनीतिक संवाद और ऊर्जा संबंधी आत्मनिर्भरता एवं लचीलेपन को सुदृढ़ करना भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा एवं व्यापारिक हितों, दोनों की रक्षा करने में सहायता प्रदान करेगा।

स्रोत: TH

भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आगामी 7-8 वर्षों में 400-450 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की संभावना

समाचारों में

- केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जिसका वर्तमान मूल्य लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर है, आगामी सात से आठ वर्षों में बढ़कर 40-45 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की संभावना है।

प्रमुख घटनाक्रम

- संस्थागत सुधार:** वर्ष 2020 में एकल-खिड़की प्राधिकरण के रूप में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) की स्थापना तथा वाणिज्यिक इकाई के रूप में न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के गठन से निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के द्वार प्रशस्त हैं। अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का ध्यान अनुसंधान, अन्वेषण और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है।
- नीतिगत ढाँचा:** भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 में इसरो, एनएसआईएल और निजी क्षेत्र की भूमिकाएँ निर्धारित की गई हैं। उपग्रह निर्माण और प्रक्षेपण सेवाओं में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति वैश्विक पूँजी के लिए क्षेत्र के खुलेपन को दर्शाती है।
- निजी क्षेत्र का पारितंत्र:** नवोदित उद्यमों की संख्या कुछ से बढ़कर 200 से अधिक हो गई है। स्काईरूट के विक्रम-एस (2022) और अग्निकुल के अग्निबाण ने निजी क्षेत्र की प्रक्षेपण क्षमता का प्रदर्शन किया।
- पूँजीगत सहायता:** अंतरिक्ष क्षेत्र के नवोदित उद्यमों के लिए 1,000 करोड़ रुपये का उद्यम पूँजी कोष प्रारंभिक चरण में वित्तपोषण की उपलब्धता को सुगम बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।
- मिशन की विश्वसनीयता:** चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सफल लैंडिंग (2023) और आदित्य-एल1 मिशन ने लागत-कुशल अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को सुदृढ़ किया है।
- वैश्विक सहयोग:** भारत वर्ष 2023 में आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ तथा निसार (NISAR) जैसे मिशनों के माध्यम से अमेरिकी राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) जैसी संस्थाओं के साथ कार्य कर रहा है।

भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का महत्त्व

- आर्थिक गुणक प्रभाव:** भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्येक डॉलर से अर्थव्यवस्था में 2.54 डॉलर का गुणक प्रभाव उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र का कार्यबल राष्ट्रीय औद्योगिक औसत की तुलना में 2.5 गुना अधिक उत्पादक है।

- उपग्रह संचार, नौवहन और पृथ्वी अवलोकन जैसी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेवाएँ कृषि, रसद, दूरसंचार और वित्तीय प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों को सहयोग प्रदान करती हैं।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी:** यह नवोदित उद्यमों और निजी कंपनियों को प्रक्षेपण यान, उपग्रह तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियाँ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- रणनीतिक स्वायत्तता:** यह नौवहन, संचार, मौसम पूर्वानुमान और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को सुदृढ़ करता है।
- रोजगार सृजन:** इससे अंतरिक्ष एवं वैमानिकी अभियांत्रिकी, संगणक सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में कुशल रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं।
- वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी:** वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी केवल लगभग 2 प्रतिशत है। प्रक्षेपण की कम लागत भारत को लघु उपग्रहों और साझा प्रक्षेपण सेवाओं के बाजार में बड़ी हिस्सेदारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है।
- सौम्य शक्ति:** दक्षिण एशिया उपग्रह जैसी अंतरिक्ष कूटनीति संबंधी पहलें तथा वैश्विक दक्षिण के देशों की क्षमता निर्माण संबंधी गतिविधियाँ भारत के रणनीतिक प्रभाव को बढ़ाती हैं।

राष्ट्र निर्माण में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका

- भूमि प्रशासन:** स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति अभिलेख तैयार करने के लिए ड्रोन-आधारित मानचित्रण का उपयोग करती है।
- कृषि:** उपग्रह आँकड़े फसल निगरानी, सूखा आकलन और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत फसल बीमा में सहायता प्रदान करते हैं।
- आपदा प्रबंधन:** इनसैट और सुदूर संवेदन उपग्रह चक्रवातों की निगरानी, बाढ़ मानचित्रण तथा पूर्व चेतावनी जारी करने में सहायता करते हैं।
- अंतरिक्ष क्षेत्र में महिलाएँ:** महिला वैज्ञानिक और अभियंता चंद्रयान सहित इसरो के प्रमुख मिशनों में योगदान देती हैं। उनकी भागीदारी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित (STEM) के क्षेत्रों में लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देती है तथा भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं को सुदृढ़ करती है।
- नौवहन और संचार:** इसरो की भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (NavIC) क्षेत्रीय स्थिति-निर्धारण, नौवहन और समय-निर्धारण सेवाएँ प्रदान करती है। इससे परिवहन, आपदा प्रबंधन एवं रणनीतिक गतिविधियों को सहायता मिलती है।

चुनौतियाँ

- **विस्तार का अंतर:** वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का अनुमानित मूल्य 600 अरब अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक है, जिसमें अमेरिका और चीन का प्रभुत्व है। भारत का विकास लक्ष्य वर्तमान सीमित आधार को देखते हुए महत्वाकांक्षी है।
- **वित्तपोषण संबंधी बाधाएँ:** अंतरिक्ष क्षेत्र के उद्यमों में भारी पूँजी की आवश्यकता होती है और इनके परिणाम प्राप्त होने में लंबा समय लगता है। अमेरिका की तुलना में भारत में निजी निवेश सीमित और जोखिम से बचने वाला है, जबकि वहाँ स्पेसएक्स जैसी कंपनियों ने व्यापक वित्तपोषण के सहारे विस्तार किया है।
- **नियामक कमियाँ:** एक व्यापक अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक अभी भी लंबित है। दायित्व, अनुज्ञापन, आवृत्ति वर्णक्रम का आवंटन और बीमा जैसे मुद्दों पर स्पष्टता का अभाव है।
- **प्रौद्योगिकीय निर्भरता:** महत्वपूर्ण घटकों, उन्नत अर्धचालकों और प्रणोदन संबंधी सामग्रियों के लिए अभी भी आयात पर निर्भरता बनी हुई है, जिससे वास्तविक आत्मनिर्भरता सीमित होती है।
- **अंतरिक्ष मलबा और स्थिरता:** उपग्रहों की बढ़ती संख्या और कक्षीय भीड़ के कारण टकराव का जोखिम बढ़ रहा है। इससे कक्षीय संसाधनों के उत्तरदायी प्रबंधन की आवश्यकता उत्पन्न होती है।
- **दोहरा उपयोग और सुरक्षा जोखिम:** संवेदनशील चित्रों और प्रौद्योगिकी तक निजी क्षेत्र की पहुँच से आँकड़ा सुरक्षा तथा निर्यात नियंत्रण संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

आगे की राह

- **विधायी स्पष्टता:** अनुज्ञापन, दायित्व और विवाद समाधान के संबंध में कानूनी निश्चितता प्रदान करने के लिए अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक पारित किया जाना चाहिए।
- **वित्तपोषण का विस्तार:** सरकारी निवेश कोषों, मिश्रित वित्तपोषण और अनुसंधान एवं विकास के लिए कर प्रोत्साहनों के माध्यम से दीर्घकालिक पूँजी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **घरेलू आपूर्ति शृंखलाएँ:** आयात पर निर्भरता कम करने के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन जैसी योजनाओं के अंतर्गत अंतरिक्ष घटकों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **माँग सुनिश्चित करना:** सरकार द्वारा खरीद के माध्यम से प्रारंभिक माँग सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि नवोदित उद्यमों के जोखिम को कम किया जा सके।
- **कौशल और अनुसंधान के बीच समन्वय:** प्रतिभा का एक सुदृढ़ आधार तैयार करने के लिए शिक्षण संस्थानों, उद्योग जगत और इसरो के बीच सहयोग को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

- **अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन:** वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप अंतरिक्ष मलबे को कम करने और कक्षीय संसाधनों के सुरक्षित उपयोग के लिए मानदंड विकसित किए जाने चाहिए।

स्रोत: PIB

संक्षिप्त समाचार

भारत का पोषक तत्वों से भरपूर बैंगनी आलू

संदर्भ

- जैव-सुदृढ़ीकरण अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण परिणाम पोषण मूल्य से भरपूर रंगीन आलू की किस्मों का विकास रहा है।

परिचय

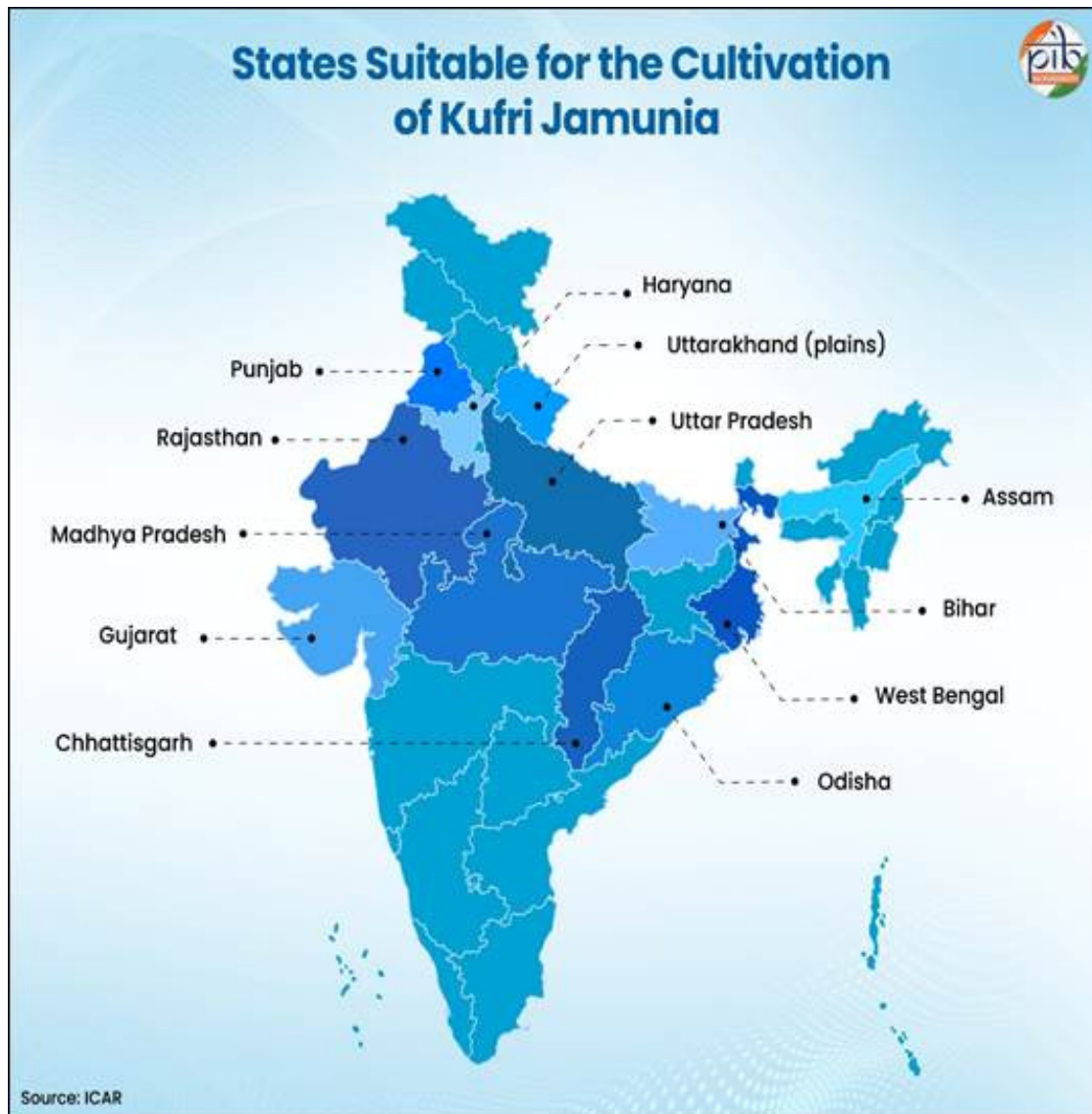
- पर्याप्त मात्रा में कैलोरी ग्रहण करने के बावजूद छिपी हुई भूख एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है।
 - यह स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब लोग पर्याप्त भोजन तो ग्रहण करते हैं, लेकिन उनके आहार में आवश्यक विटामिन और खनिजों की कमी होती है।
- इस चुनौती से निपटने के लिए वैज्ञानिक पोषण मूल्य से भरपूर जैव-सुदृढ़ीकृत फसलों का विकास कर रहे हैं।
 - **जैव-सुदृढ़ीकरण** पौधों के प्रजनन के माध्यम से फसलों में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने की प्रक्रिया है, जिससे भोजन में प्राकृतिक रूप से आवश्यक पोषक तत्वों का स्तर अधिक हो जाता है।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ने पोषक तत्वों से भरपूर रंगीन आलू की किस्में विकसित की हैं। इनमें कुफरी नीलकंठ, कुफरी माणिक और कुफरी जामुनिया शामिल हैं।
 - इन किस्मों में एंथोसाइनिन, लौह और जस्ता जैसे महत्वपूर्ण प्रतिऑक्सीकारक तथा सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं।

कुफरी जामुनिया के बारे में

- कुफरी जामुनिया को वर्ष 2024 में जारी किया गया था। इस किस्म में कुफरी माणिक और कुफरी नीलकंठ की तुलना में एस्कॉर्बिक अम्ल, एंथोसाइनिन तथा कैरोटीनॉयड की मात्रा अधिक होती है।
 - इसका बैंगनी गूदा उच्च प्रतिऑक्सीकारक मात्रा और बेहतर पोषण गुणवत्ता का संकेत देता है। इसमें जस्ता तथा लौह की मात्रा भी अधिक होती है।

Nutrient (per 100 gm)	Kufri Jamunia	Common Potato
Vitamin C	42.75 mg	23.15 mg
Zinc	2.28 mg	0.28 mg
Iron	3.22 mg	0.57 mg

- विभिन्न स्थानों पर किए गए परीक्षणों में कुफरी जामुनिया का प्रदर्शन स्थिर रहा है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में इसकी खेती करने की सिफारिश की गई है।



स्रोत: pib

मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वैश्विक वृद्धि

संदर्भ

- अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही है। इसके परिणामस्वरूप विश्व भर के केंद्रीय बैंक उधार लेने की लागत बढ़ा रहे हैं।

ब्याज दरों में वृद्धि के कारण

- कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें:** कच्चे तेल की कीमत लगभग 105 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक पहुँचने से चिंता बढ़ गई है। भारत जैसी ऊर्जा आयात करने वाली अर्थव्यवस्थाओं पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। इससे ईंधन, परिवहन और उत्पादन की लागत बढ़ रही है।

- दीर्घकालिक बॉण्ड प्रतिफल में वृद्धि: मुद्रास्फीति को लेकर अनिश्चितता और सरकारों द्वारा अधिक उधार लेने के कारण बॉण्ड प्रतिफल में वृद्धि हो रही है।
 - बॉण्ड की कीमतें घटने पर उनका प्रतिफल बढ़ जाता है, जिससे सरकारों और व्यवसायों के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है।
 - केंद्रीय बैंकों पर मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं को नियंत्रित करने और मौद्रिक नीति की विश्वसनीयता बनाए रखने का दबाव बढ़ता है। इसके परिणामस्वरूप ब्याज दरों में अधिक वृद्धि की जा सकती है।

ब्याज दरों में वृद्धि से मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित किया जाता है?

- माँग का प्रबंधन:** नीतिगत ब्याज दरें बढ़ने से परिवारों और व्यवसायों के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है। इससे उपभोग और निवेश में कमी आती है।
 - समग्र माँग घटने से व्यवसायों की कीमतें बढ़ाने की क्षमता सीमित होती है, जिससे माँग-जनित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है।
- विनिमय दर का माध्यम:** घरेलू निवेश पर अधिक प्रतिफल मिलने से विदेशी पूँजी आकर्षित हो सकती है और घरेलू मुद्रा को समर्थन मिल सकता है। इससे आयात की लागत घटने की संभावना रहती है।

स्रोत: TH

जैविक ताड़ गुड़ पाउडर का बुल्गारिया को निर्यात

समाचारों में

- भारत ने जैविक ताड़ गुड़ पाउडर की प्रथम खेप बुल्गारिया को निर्यात की।

परिचय

- यह एक पारंपरिक प्राकृतिक मिठास प्रदान करने वाला पदार्थ है, जिसे ताड़ के फूलों के रस से तैयार किया जाता है।
- हाल ही में निर्यात की गई खेप तमिलनाडु के इरोड जिले के गोबीचेट्टीपल्लयम से भेजी गई।
- निर्यात किए गए उत्पाद को भारत के **जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय कार्यक्रम** तथा यूरोपीय संघ के जैविक मानकों के अंतर्गत प्रमाणन प्राप्त है।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

- स्थापना:** कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के अंतर्गत वर्ष 1986 में।
- प्रकृति:** वैधानिक प्राधिकरण।
- मंत्रालय:** भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।
- मुख्यालय:** नई दिल्ली।

स्रोत: PIB

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में लांस नायक और नायक के पद पुनः शुरू करने पर विचार

संदर्भ

- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पदोन्नति में होने वाली देरी को दूर करने और सेना से सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को अवसर प्रदान करने के लिए लांस नायक तथा नायक के सैन्य पदों को पुनः शुरू कर रहा है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1997 में गृह मंत्रालय के आदेश के माध्यम से बल में लांस नायक और नायक के पद समाप्त कर दिए गए थे तथा उन्हें पुलिस के सिपाही एवं मुख्य आरक्षी पदों में मिला दिया गया था।
 - सेना में ये दोनों पद अब भी प्रचलित हैं।
- पदोन्नति संरचना:** निर्धारित पदानुक्रम के अनुसार, बल में सिपाही के रूप में भर्ती होने वाले जवान को पाँच वर्ष में प्रथम पदोन्नति लांस नायक के पद पर मिलती है। इसके बाद दस वर्ष में नायक और बीस वर्ष में मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति होती है।
 - वर्तमान में लगभग 3.25 लाख कर्मियों वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में इन पदों पर पदोन्नति लंबे समय तक रुकी रहने की गंभीर समस्या है। एक सिपाही को औसतन 22-25 वर्ष बाद प्रथम पदोन्नति मिलती है।

पदों को पुनः शुरू करने के कारण

- इसका उद्देश्य मुख्य आरक्षी बनने से पहले सिपाहियों को पदोन्नति के दो अतिरिक्त अवसर देना है। इससे उनकी शिकायतों का समाधान करने के साथ-साथ उनका मनोबल बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
- बल सेना के अग्निवीरों के लिए भी सेवा को आकर्षक बनाना चाहता है। अग्निवीरों का प्रथम दल इस वर्ष के अंत में सेवानिवृत्त होना शुरू होगा और वे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भर्ती होने के पात्र होंगे।

- अग्निवीर वे अल्पकालिक सैन्यकर्म हैं, जिन्हें केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के अंतर्गत तीनों सेनाओं में चार वर्ष के लिए भर्ती किया जाता है।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बारे में

- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना वर्ष 1939 में **क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस** के रूप में हुई थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 के अंतर्गत इसे वर्तमान नाम दिया गया।
- यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- **उद्देश्य:** विधि के शासन, लोक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में सरकार को सक्षम बनाना। संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा करना तथा सामाजिक सद्भाव और विकास को बढ़ावा देना।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली।
- **विशेषीकृत इकाइयाँ:**
 - **कोबरा:** गुरिल्ला और नक्सल-विरोधी अभियानों के लिए कमांडो बटालियन।
 - **त्वरित कार्रवाई बल:** दंगों और भीड़ नियंत्रण के लिए।
 - **महिला बटालियन:** महिला कर्मियों से युक्त बटालियन।
 - **विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा तथा संसद सुरक्षा दल।**

स्रोत: TH

अभ्यास कोंकण-26

संदर्भ

- भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास **कोंकण-26** ब्रिटेन के प्लायमाउथ के तट के निकट संपन्न हुआ।

कोंकण अभ्यास के बारे में

- वर्ष 2004 में शुरू हुआ कोंकण अभ्यास भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की शाही नौसेना के बीच आयोजित होने वाला वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है।
- इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस त्रिशूल ने भाग लिया, जबकि ब्रिटेन की शाही नौसेना ने ड्यूक थ्रेणी के पनडुब्बी-रोधी युद्धपोत एचएमएस सदरलैंड को तैनात किया।
- कोंकण अभ्यास भारत-ब्रिटेन दृष्टि 2035 के अंतर्गत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करता है। यह स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत-ब्रिटेन के अन्य द्विपक्षीय अभ्यास

- **अजेय वॉरियर:** थल सेना अभ्यास।
- **अभ्यास इंद्रधनुष:** वायु सेना अभ्यास।
- **अभ्यास कोबरा वॉरियर:** ब्रिटेन द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास।

स्रोत: PIB

